DOR	: DOJ:	DOD:		DOA:	
एस.आर - । SR-1					
छुटटी की अर्जी का फार्म / FORM OF APPLICATION FOR LEAVE					
		ु (अनुपूरक नियम 216 देखिए)/			
टिप्पणीः - मद सं. । से ।					
। प्रत्येक प्रार्थी को भरनी चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित । Note:- Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted					
1.	प्रार्थी का नाम/Name of applicant	io 11 must be filled in by	y an applicants v	vietner gazetted or non-gazetted	
2.	लागू होने वाली छुटटी नियमावली Leave rules ap	pplicable		CCS (Leave) Rules 1972	
3.	पद/Post held			000 (2000) 1000 1012	
4.	विभाग, कार्यालय और अनुभाग/Department, Office and Section			IA&AD, O/o the Pr. A.G. (Au) Punjab, Chd,	
5.	वेतन/Pay				
6.	वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता, सवा conveyance allowance or other compensa		,	As admissible	
7.	मांगी गई छुटरी की किस्म, अवधि और उसके शुरू होने की तारीख/Nature and period of applied for and date from which required				
8.	श्रानिवार ∕रिववार और छुटटी के दिन यदि कोई हों, जिन्हे छुटटी से पहले ∕बाद में जोडना Saturday/Sundays and holidays, if any, proposed to be prefixed/suffi			Saturday/Sunday prefixed/suffixed	
9.	छुटटी का कारण/Ground on which leave is applied for				
10.	पिछली छुटटी से लौटने की तारीख और उस छुटटी की किस्म तथा अवधि/Date of return from la leave and the nature and period of that leave.				
11.	मेरा विचार आगामी छुटटी में के खण्ड वर्षों के लिए छुटटी यात्रा की कैफियत लेने का propose/do not propose to avail myself of leave travel concession block years during the ensuing leave.			-	
12.	(क) मैं बचन देता हूं कि औसत बेतन छुटी/परिवर्तित छुटी की अबिध में लिए गए छुटी बेतन और आधे औसत बेतन/आधे बेतन की छुटी से मिलने वाले बेतन के अन्तर की उस रकम को बापस कर दूंगा जो छुटी की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत होने की स्थिति में मूल नियम 81 (ख) (ii)/संशोधित छुटी नियमावली 1933 के नियम 11 (ग) (iii) के लागू न हाने पर अनुमत्य न होती। (a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn dring the leave on average pay/commuted leave and that admissible during leave on half average pay/half pay leave, which would not have been admissible had the proviso to F.R. 81, (b)(ii) rule 11(c) (iii) of the Revised Leave Rules, 1933 not been applied in the event of my retirement from service at the end or during the currency of the leave.				
12.	(ख) मैं वचन देता हूं कि मेरे स्वेच्छा से सेवा निवृत होने या सेवा से त्याग-पत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुटटी अर्जित न कर सका जितनी अग्रिम छुटटी मैंने ली है तो अग्रिम छुटटी के दौरान - जो मूल नियम 81 (ग) ∕ संशोधित छुटटी नियमावली, 1933 के नियम 11 (घ) के लागू न किए जाने पर मुझे न मिल पाती, मिले छुटटी के वेतन को वापिस कर दुगा। (b) I undertake to refund the leave salary drawn during the leave not due which would not have been admissible had F.R. 81 (c)/Rule 11(d) of the Revised Leave Rules 1933 not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of by me.				
तारीख/Date			प्रार्थी के हस्ताक्षर Signature of applicant		
13. नियन्त्रण अधिकारी की टिप्पणी और ∕या सिफारिश ∕ Remarks and/or recommendations of the Controlling Officer.					
तारीख / Date			हस्ताक्षस ∕ Signature <u>पदनाम ∕ Designation</u>		
छुटी की अनुमत्यता के बारे में प्रमाण-पत्र CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE (राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में महालेखाकार दवारा) (By Accountant General in the case of gazetted officers)					
14.	14. प्रमाणित किया जाता है कि तक दिन के लिए के.सि.से (अवकाश) नियमावली 1972 के नियम के अधीन (छटटी की किस्म) अनुमत्य है।				
		. ,	,	to is admissible under rule of	
तारीख / Date			हस्ताक्षर.∕Signature पदनाम ∕ Designation		
15.	*स्वीकृति देने वाले अधिकारी के आदेश:- *Orders of the sanctioning authority: -				
तारीस्व / Date		हस्ताक्ष्स ∕ Signature पदनाम ∕ Designation			
* यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकर भत्ता मिलता हो तो मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुटटी पूरी होने पर प्रार्थी की उसी पद या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नही जहां इसी प्रकार का भत्ता मिलता हो। * If the applicant is drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.					